

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

प्रकरण संख्या Ud-D- 112/2017 श्री ओमप्रकाश बनाम श्री यशवन्त कोठारी

तारीख हुक्म	हुक्म पर कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
06-08-2018	<p>वकील उभयपक्ष उपस्थित। प्रकरण में हमारे द्वारा सुनी गई बहस व पत्रावली के रिकॉर्ड का अवलोकन कर बहस पर मनन किया तो यह पाया कि प्रकरण में रेस्पॉन्डेन्ट द्वारा दिनांक 28-7-2015 को जवाबदावा पेश किया तथा दिनांक 20-10-2015 को अपीलान्ट को जवाबूल जवाब प्रस्तुत किये जाने के लिए अवसर दिया गया। इस दौरान दिनांक 16-2-2017 को आदेश-1, नियम-10 के आवेदकों के आवेदन पर मौका रिपोर्ट मंगवाये जाने का आदेश दिया गया। अधिनस्थ न्यायालय ने प्रकरण में दिनांक 24-5-2017 को दिनांक 5-7-2017 की पेशी तय की तथा दिनांक 5-7-2017 को प्रकरण को लोक अदालत में रखा जाकर उभयपक्ष के अधिवक्ता की अनुपस्थिति में अपीलान्ट की अनुपस्थिति में बनाये गये पर्चे मौके के आधार पर भूमि को रास्ते की भूमि मानकर वाद खारिज कर दिया।</p> <p>अधिनस्थ न्यायालय का उक्त निर्णय प्राकृतिक न्याय व विधिक प्रक्रिया के प्रतिकूल है। प्रकरण में आवेदकों को पक्षकार बनाये जाने के आवेदन पर निर्णय कर, तनकीयात कायम कर, उभयपक्ष की साक्ष्य लेकर एवं विधिक प्रक्रिया अपनाकर निर्णय किया जाना चाहिए था।</p> <p>अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 05-07-2017 अपास्त की जाकर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में हमारे उपरोक्त प्रेक्षणों को दृष्टिगत रख सभी पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देकर विधिक निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 08-10-2018 को उपस्थित हों।</p> <p>पत्रावलियां बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 6-08-2018 को मेरे हस्ताक्षर से खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p> <p align="center">(एल.एन. मंत्री) भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर</p>	

--	--	--

--	--	--

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर
प्रकरण संख्या Ud-D- 112/2017 श्री ओमप्रकाश बनाम श्री यशवन्त कोठारी

--	--	--

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41. रूल 35 जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.मुकाम
 उदयपुर व इजलास एल.एन. मंत्री आर.ए.एस.

श्री गणेश लाल नागदा पिता
 श्री कालूलाल नादा निवासी
 पुला शोभागपुरा रोड़ पटवार मण्डल
 के पास शोभागपुरा स्कूल के सामने
 तहसील गिर्वि जिला उदयपुर

बनाम श्री भंवर लाल पिता श्री तेजपाल
 कटारिया निवासी 343 भोपालपुरा
 उदयपुर (राज0)
 अन्य 10 व सरकार

अपील नं0 84 / 2012 बनाराजगी डिगरी अदालत सहायक कलक्टर मु0.....
 उदयपुर मुकाम मुखर्षे.....27..... माह02..... 1993

दावा बाबत

यह अपील व तारीख 15..... माह06..... सन् 2016 रूबरू... पक्षकारान व
 हाजरीश्री सत्य प्रकाश व्यास मिनजानिब अपीलान्त वश्री संजय बोहरा
 रेस्पोंडेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि अतः अपील अपीलान्त दूषित
 (Defectiv) होने से खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक
 27-2-1993 यथावत रखा जाता है।

(खर्चा अपीली हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिगX.... रूपये..... Xअदा
 करें, खर्चा मुकदमा मातहत का X अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....15..... माह ...06..... 2016 को
 जारी किया गया।

(एल.एन.मंत्री)
 भू-प्रबन्ध अधिकारी
 एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
 उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्त	रू0	पै0	रेसपोन्डेन्ट	रू0	रू0
1. स्टाम्प अपील					
2. स्टाम्प वकालत नामा.....					
3. इजराय हुक्मनामा					
4. वकील फीस बाबत					
मीजान					

नोट :- इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये
 दिलाया गया हो।

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर
प्रकरण संख्या Ud-D- 112/2017 श्री ओमप्रकाश बनाम श्री यशवन्त कोठारी

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41. रूल 35 जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.मुकाम
 उदयपुर व इजलास एल.एन. मंत्री आर.ए.एस.

श्री गांगा पिता देवा डांगी
 निवासी खेड़ी तहसील गिर्वा
 जिला उदयपुर (राज0)
 अन्य -2

बनाम श्री भंवर लाल पिता श्री कालूलाल
 निवासी गांव खेड़ी तहसील गिर्वा
 जिला उदयपुर (राज0)
 अन्य-6

अपील मूत नं0 3/2015 बनाराजगी डिगरी अदालतभू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
 पदेन राजस्व अपील अधिकारीउदयपुर मुकाम मुखर्वे.....08.....
 माह07..... 2015

दावा बाबत

यह अपील व तारीख 25..... माह05..... सन् 2016 रूबरू... पक्षकारान व
 हाजरीश्री मन्नाराम डांगी मिनजानिब अपीलान्त वश्री
 रेस्पोंडेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि प्रकरण में
 वकील अपीलान्त द्वारा पेश शुदा आवेदन दफा-152 जाब्ता दीवानी का अवलोकन
 किया गया तो यह पाया गया कि इस न्यायालय द्वारा जारी डिक्री अन्तर्गत प्रकरण
 संख्या 46/2004 निर्णय दिनांक 8-7-2010 में अंकित आराजी नं0 3261 रकबा 0.
 800 हैक्टर लिपिकीय/टंकण त्रुटि से गलत अंकित हो गया है। इसके स्थान पर
 आराजी नंबर 3231 रकबा 0.0800 हैक्टर अंकित किया जावे।

(खर्चा अपीली हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिगX.... रूपये..... Xअदा
 करें, खर्चा मुकदमा मातहत का X अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....14..... माह ...06..... 2016 को
 जारी किया गया।

(एल.एन.मंत्री)

भू-प्रबन्ध अधिकारी
 एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
 उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्त	रू0	पै0	रेसपोन्डेन्ट	रू0	रू0
5. स्टाम्प अपील					
6. स्टाम्प वकालत नामा.....					
7. इजराय हुक्मनामा					
8. वकील फीस बाबत					
मीजान					

नोट :- इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये
 दिलाया गया हो।

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर
प्रकरण संख्या Ud-D- 112/2017 श्री ओमप्रकाश बनाम श्री यशवन्त कोठारी
